समाचार-प्रकाशनार्थ:-

सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के साथ निगम का राजस्व बढ़ायें
कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने निगम अ धकारियों को दिये निर्देश

रतलाम 15 जुलाई । नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने तथा नगर निगम की आय में वृ द्ध कये जाने हेतु कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के साथ निगम अ धकारी व कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में सफाई कार्य व निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी लेकर सफाई व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ़ बनाये जाने व निगम की अचल संपत्तियों के वक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने सर्वप्रथम स्वास्थ्य वभाग के अ धकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर वर्तमान में कये जा रहे सफाई कार्य की जानकारी लेकर एक सप्ताह में ओर अ धक सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा क शहर में कचरा तब दिखाई देता है जब 100 प्रतिशत कचरे का संग्रहण नहीं हो रहा होता है इस लये नगर के सभी घरो से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण कया जाये।

उन्होने बैठक में निर्दे शत कया नगर में ऐसे नागरिक व दुकानदार जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते है उन पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्पॉट फाईन दल के अलावा झोन प्रभारी भी करेंगे।

कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने निर्दे शत कया क हरमाला रोड क्षेत्र में फल-फ्रुट के थोक वक्रेता अ धक है तथा वहां कचरा भी अ धक मात्रा में निकलता हैए कचरा संग्रहण कार्य के लये बडा वाहन लगाया जाये इसके पश्चात भी खुले में या नाले ना लयों में कचरा पाया जाता है तो उन पर बड़े जुर्माने की कार्यवाही की जाये साथ ही ऐसे संस्थान जहां कचरा अ धक मात्रा में निकलता है उन संस्थानों यूजर्स चार्जेस लया जाये।

बैठक में उन्होने निर्दे शत कया क व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रातः सफाई कार्य पश्चात दुसरी शफ्ट में सफाई का कार्य ना कराते हुए रात्री में सफाई का कार्य कराया जाये। रात्रिकालीन सफाई मंे महिला कर्मचारी को छोड़कर पुरूष कर्मचारी 20.20 लगाकर सफाई का कार्य कया जाये व निकलने वाले कचरे के संग्रहण के लये चारो झोन में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन भी लगायें। इसके अलावा मुख्य मार्गो की रात्री में भी सफाई कराये जाने के निर्देश दिये।

उन्होने कहा क प्रातः कालीन शफ्ट में सफाई का कार्य होता है कन्तु दोपहर की शफ्ट में अ धकांश कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है नौकरी में कम से कम 8 घन्टे काम करना अनिवार्य होता है। दोपहर की शफ्ट में कर्मचारी कार्य नहीं करता है तो उसका आधे दिवस का वेतन काटा जाये इसके बाद भी वह लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसके निलबंन/बर्खास्त करने की कार्यवाही की जाये।

वार्डो में पर्याप्त सफाई कार्य नहीं होने पर उन्होने निर्दे शत कया क सुपर वजन हेतु नियुक्त अ धकारी/कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया जाये क्यों क कसी भी कार्य का सुपर वजन निय मत व सही ढंग से होगा तो वह कार्य सही से होगा।

नगर निगम की अचल संपत्तियों की जानकारी ली

सफाई कार्य की बैठक के पश्चात कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने नगर निगम के राजस्व वभाग व वकास शाखा के अ धकारी एवं कर्मचारियों की बैठक लेकर निगम की वक्रय योग्य अचल संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर संपत्ति वक्रय की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

बैठक में कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम को निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा राजीव गांधी स वक सेंटर की 121 संपत्तिए सुभाष शा पंग काम्पलेक्स की 94 दुकानेंए डॉ0 श्यामाप्रसाद मुखर्जी बस स्टैण्ड की दुकान/हॉल/छतए देवरा देव नारायण नगर के 16 फ्लेटए टीआईटी रोड पर रोडवेज को लीज पर दी गई भू मए अमृत सागर में अतिक्रमण मुक्त की गई भू मए अर्जून नगर

कॉलोनी में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भू मए पांजरा पोल की दुकानें व नित्यानन्द मार्केट की दुकानो के बारे में जानकारी दिये जाने पर उन्होने निर्दे शत कया क वक्रय योग्य संपत्तियों के वक्रय कये जाने हेतु नि वदा जारी कये जाने की कार्यवाही कये जाने के साथ ही अवैध कब्जे वाली दुकानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के निर्देश दिये।

इसके अलावा बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डोसीगांव में नि र्मत एलआईजी फ्लेट व दुकानेंए मुखर्जी नगर में नि र्मत एमआईजी फ्लेट के ऑन लाईन वक्रय के संबंध में जारी की गई नि वदा की जानकारी बैठक में दी।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यासए जी.के. जायसवालए मोहम्मद हनीफ शेखए एम.के. जैनए सत्यप्रकाश आचार्यए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए निगम स चव श्री जसवंत जोशीए उपयंत्री सर्वश्री मनीष तिवारीए राजेश पाटीदारए वकास मरकामए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्माए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए करण चौहानए वनय चौहानए वराट मेहरा आदि उपस्थित थे।

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु वार्डो की उ चत मूल्य की दुकानों पर श वरों का आयोजन

अब तक 2978 आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 15 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उ चत मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार बनाये जाने के तहत आज 15 जुलाई गुरूवार को वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61ए रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान वनोबा महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डारए वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित

लक्ष्मणपुराए वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथ मक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

उक्त वार्डो की उ चत मूल्य की दुकानों पर 14 जुलाई बुधवार को 199 व 15 जुलाई को 236 कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 2978 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है क वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांको को अपने वार्ड की उ चत मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

पथ वक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें

ऋण हेतु नगर निगम के एनयूएलएम वभाग में संपर्क करें

रतलाम 15 जुलाई । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सद्वी वशेष अ भयान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत रा श रूपये 10ए000ध् का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के हाथीखाना स्थित एनयूएलएम कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन

15 जुलाई को 74 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 15 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टे[a] चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 15 जुलाई बुधवार को 74 टन कचरा जुलवानिया टे[a] चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया। 15 जुलाई गुरूवार को डम्पर व टे[a] क्टर ट्रॉली से 34545ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 24285ए काम्पेक्टर गीला कचरा 14410 व मैजिक 1530 कलो इस तरह कुल 74765 कलो कचरा जुलवानिया टे[a] चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

1082 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 15 जुलाई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 15 जुलाई

तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1082 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 15 जुलाई को हरमाला रोडए घांस बाजारए चौमुखी पुलए टीआईटी रोड आदि क्षेत्रों से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 15 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं

सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/15ण्07ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.